Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 71-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 26, 2019 (VAISAKHA 6, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 26 अप्रैल, 2019

संख्या 59/जीएसटी–2.– चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके बाद, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप–धारा (2), खंड (क) से खंड (ङ) में वर्णित परिस्थितियों में समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है:–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है, जो विहित किए जाएं ; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले किसी व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तिथि से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है:

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 169 की उप–धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप–धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं:–

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय पर यथा संशोधित उसके ई–मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

.....

और चूंकि, धारा 30 की उप–धारा (1), रद्दकरण आदेश की तामील की तिथि से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (1), किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उस तिथि, जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त निर्णय या आदेश संसूचित किया जाता है, से

तीन मास के भीतर अपील दायर करने का उपबंध करती है और उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है।

और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 169 की उप–धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार समुचित अधिकारी द्वारा नोटिस की तामील करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द किए गए हैं और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (1) के अधीन अपील दायर करने की अवधि और उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी समाप्त हो गई है; तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होते हुए, ये करदाता पहले की व्यवस्था की तुलना में, जहां नोटिस की तामील दस्ती की गई थी, ई–मेल द्वारा या पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए नोटिस की तामील की रीति से परिचित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

इसलिए, अब हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम – यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाइयों का पाँचवा निवारण) आदेश, 2019 कहा जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे धारा 169 की उप–धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति में धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह 31 मार्च, 2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दायर करने में असमर्थ है, तो उसे 22 जुलाई, 2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दायर करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 26th April, 2019

No. 59/GST-2.—WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) hereinafter called the said Act, provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clause (a) to clause (e) as under: -

(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or

(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or

(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or

(d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or

(e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.